संख्या- 5 /2022/रिट-8(23-22)/001-38 writ 2019

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2022

विषय:- सिविल रिट पिटीनश सं0 4982/2019 दिनेश चन्द्र चौधरी व अन्य बनाम डा0 अजय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी गाजियाबाद व अन्य एवं सिविल रिट पिटीशन संख्या-13917/2007 दिनेश चन्द्र चौधरी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दि0 23.01.2018 एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस0एल0पी0 डायरी सं0-32741/2019 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम दिनेश चन्द चौधरी व अन्य में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 04.10.19 के अनुपालन में अर्जित भूमि के प्रतिकर की निर्धारित धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-102 एल0ए0/2022, दिनांक 19.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल रिट पिटीशन संख्या-4982/2019 दिनेश चन्द्र चौधरी व अन्य बनाम डा0 अजय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी गाजियाबाद व अन्य एवं सिविल रिट पिटीशन संख्या-13917/2007 दिनेश चन्द्र चौधरी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य मे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दि0 23.01.2018 एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस0एल0पी0 डायरी संख्या-32741/2019 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम दिनेश चन्द चौधरी व अन्य में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 04.10.19 के अनुपालन में अर्जित भूमि के प्रतिकर हेतु धनराशि रू0 6,02,24,343.00 (रूपये छः करोड़ दो लाख चौबीस हजार तीन सौ तैतालीस मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिये किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

2- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर

Scanned with CamScanner

व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व धनराशि की गणना की शुद्धता की जॉच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त देयता के सम्बन्ध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकार को नहीं दी गई है।

7- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,02,24,343 (रुपये छह करोड़ दो लाख चौबीस हजार तीन सौ तैंतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000302 विभिन्न मार्गो पर अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर का भुगतान जिसके भुगतान के लिये आदेश न्यायालय या शासन से प्राप्त हुये हो **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
07/07/2022
(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

रिट-80/23-2-22

संख्या- 5 /2022/ /001-38 writ 2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च, न्यायालय, इलाहाबाद।

Scanned with CamScanner

4- मण्डयलायुक्त , मेरठ मण्डल, मेरठ।
5- जिलाधिकारी, मेरठ।
6- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ताा, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
9- अधिशासी अभियन्ति, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हापुड़।
10- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner